



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 2030 /अका./वि.परि./2010

रायपुर, दिनांक : 7 /09/2010

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की शनिवार, दिनांक 28.08.2010 को अपराह्न 3:00 बजे सर सी. व्ही. रामन हॉल, विज्ञान भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में बैठक सम्पन्न हुई -

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	-	सदस्य
3	डॉ. शैलेन्द्र शराफ	-	सदस्य
4	डॉ. (श्रीमती) रीता देणु गोपाल	-	सदस्य
5	डॉ. एस.के. सिंह	-	सदस्य
6	डॉ. (श्रीमती) ज्योति रवि तिवारी	-	सदस्य
7	डॉ. के.एल. वर्मा	-	सदस्य
8	डॉ. ए.के. पति	-	सदस्य
9	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10	डॉ. (श्रीमती) कीर्ति तिवारी	-	सदस्य
11	डॉ. (श्रीमती) सुष्मा तिवारी	-	सदस्य
12	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता	-	सदस्य
13	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	-	सदस्य
14	डॉ. एल.एस. निगम	-	सदस्य
15	डॉ. डी.एन. सूर्यवंशी	-	सदस्य
16	डॉ. (श्रीमती) जकिया तसनीम खान	-	सदस्य
17	डॉ. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य
18	डॉ. आर.सी. अग्रवाल	-	सदस्य
19	डॉ. (श्रीमती) रमा पांडेय	-	सदस्य
20	डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
21	डॉ. एम.डब्ल्यू. वाय. खान	-	सदस्य
22	डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
23	डॉ. एस.एस. खनूजा	-	सदस्य
24	डॉ. एस.के. जाधव	-	सदस्य
25	डॉ. ए.के. गुप्ता	-	सदस्य
26	डॉ. विभूति राय	-	सदस्य
27	डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
28	डॉ. (श्रीमती) प्रीति तिवारी	-	सदस्य
29	डॉ. व्यास नारायण दुबे	-	सदस्य
30	डॉ. प्रमोद शर्मा	-	सदस्य
31	डॉ. बी.जी. सिंह	-	सदस्य
32	डॉ. के.एस. पटेल	-	सदस्य
33	डॉ. नुक्ति मिश्रा	-	सदस्य
34	डॉ. पी.सी. अग्रवाल	-	सदस्य
35	डॉ. अरविंद गिरोलकर	-	सदस्य
36	डॉ. टी.एल. वर्मा	-	सदस्य
37	डॉ. बी.एस. ठाकुर	-	सदस्य
38	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निर्णय लिये गये :-

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 12.05.2010 के कार्यवृत्त को सम्मूष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 12.05.2010 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।
2. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.07.2010, 03.08.2010, 12.08.2010 एवं 14.08.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.07.2010, 03.08.2010, 12.08.2010 एवं 14.08.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए

दिनांक 28.08.2010 को आयोजित बैठक बीच में बैठक स्थगित कर पुनः दिनांक 06.09.2010 को आयोजित की गई एवं बैठक सम्पन्न हुई।

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F-3-1/2009 30 जून 2010 पर UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and colleges and Measures for the Maintenance of Standard in Higher Education 2010 के संबंध में परीक्षण कर सुझाव देने हेतु गठित समिति की अनुशंसा मान्य करने के संबंध में विचार करना।

समिति द्वारा अद्योदश क्रमांक 4 में किये गए संशोधन की अनुशंसा पर विचार करने के पूर्व विद्यापरिषद् के सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उक्त अध्यादेश को पढ़ने हेतु उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। अतः इस संशोधन को अध्ययन हेतु उन्हें समय दिया जाए एवं विद्यापरिषद् की इस बैठक को स्थगित रखते हुए पुनः आयोजित किया जाए। जिस पर विद्यापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के सुझावों को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी गई कि विद्यापरिषद् की स्थगित बैठक को पुनः दिनांक 06.09.2010 को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर आयोजित किया जाए।

विद्यापरिषद् की दिनांक 28.08.2010 की स्थगित बैठक पुनः दिनांक 06.09.2010 को आयोजित कर बैठक सम्पन्न की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	-	सदस्य
3	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
4	डॉ. (श्रीमती) रीता वेणु गोपाल	-	सदस्य
5	डॉ. एस.के. सिंह	-	सदस्य
6	डॉ. के.एल. वर्मा	-	सदस्य
7	डॉ. ए.के. पति	-	सदस्य
8	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
9	डॉ. (श्रीमती) कीर्ति तिवारी	-	सदस्य
10	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता	-	सदस्य
11	डॉ. एल.एस. निगम	-	सदस्य
12	डॉ. जे.एल. भारद्वाज	-	सदस्य
13	डॉ. (श्रीमती) जकिया तसनीम खान	-	सदस्य
14	डॉ. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य

15	डॉ. आर.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
16	डॉ. (श्रीमती) रमा पांडेय	—	सदस्य
17	डॉ. एच.के. पाठक	—	सदस्य
18	डॉ. एम.डब्ल्यू. बाय. खान	—	सदस्य
19	डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
20	डॉ. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
21	डॉ. विभूति राय	—	सदस्य
22	डॉ. गिताश्री मित्रा	—	सदस्य
23	डॉ. (श्रीमती) प्रीति तिवारी	—	सदस्य
24	डॉ. व्यास नारायण दुबे	—	सदस्य
25	डॉ. प्रमोद शर्मा	—	सदस्य
26	डॉ. के.एस. पटेल	—	सदस्य
27	डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	सदस्य
28	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

निर्णय : समिति द्वारा अध्यादेश क्रमांक 4 में किये गए संशोधन की अनुशंसा पर विद्यापरिषद् के सदस्यों द्वारा गहन विचार कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यादेश क्रमांक 4 में संशोधन को मान्य कर Minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors in University for appointment of persons through Open Advertisement and promotion of working teachers through Career Advancement Scheme (CAS) को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त रेग्यूलेशन में उल्लेखित Selection Procedure & Scores for Academic Performance Indicators (APs) in recruitments and career advancement scheme (CAS) for Promotions of University/College Teachers के परिप्रेक्ष्य में दर्शित परिशिष्ट को रेग्यूलेशन के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के प्रतिधन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



कुलपति

अध्यक्ष



कुलसचिव

सचिव

पृ. क्रमांक: 2031 / अका./ वि.परि./ 2010
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 7 / 09 / 2010

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन, शास. विज्ञान महा. परिसर, रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
3. विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. अतिरिक्त संचालक, आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. समस्त विभाग प्रमुख, प्रशासनिक भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहइ हेतु अग्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)